

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जुलाई 2026 — आषाढ़ 10, शक 1948

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2026

शुद्धि पत्र

क्रमांक GEN-2101/1319/2025/COMM. & INDUS.— औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन हेतु जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-01-2026 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13-01-2026) में, एतद्वारा, निम्नानुसार सुधार किया जाता है; अर्थात्-

- कंडिका 1 में, शब्द “केंद्र” के स्थान पर, शब्द “केन्द्रों” प्रतिस्थापित किया जाए।
- कंडिका 13 में, शब्द “क्रमांक 2” के स्थान पर, शब्द “क्रमांक 5” प्रतिस्थापित किया जाए।
- कंडिका 14 के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, -

“14. परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (ई) के क्रमांक 5 के कॉलम 2 में, शब्द “न्यूनतम 50 बेड वाले” के स्थान पर, शब्द “निम्नानुसार” प्रतिस्थापित किया जाए तथा अंत में निम्नानुसार शब्द जोड़े जाएं, -

- “(i) रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी, राजनांदगांव, बलोदाबाजार के जिला मुख्यालय वाले विकासखण्ड एवं नवा रायपुर में न्यूनतम 200 बेड वाले मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल जिनमें एमसीआई के मापदंड अनुसार स्पेशियलिस्ट चिकित्सक ऑन-रोल हों;
- (ii) अन्य जिला मुख्यालय विकासखण्ड एवं बस्तर सरगुजा के अतिरिक्त अन्य विकासखण्ड में न्यूनतम 100 बेड ;
- (iii) बस्तर एवं सरगुजा संभाग के विकासखण्ड हेतु 50 बेड ;
- (iv) अन्य हेल्थ वेलनेस सेंटर हेतु न्यूनतम 50 बेड;

इस संशोधन के प्रकाशन के उपरांत प्रत्येक जिले में प्रथम 10 अस्पतालों को ही निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।”

- कंडिका 15 में शब्द “तथा निम्नानुसार प्रविष्टि की जाए” के स्थान पर, शब्द “तथा इसके कॉलम 2 में निम्नानुसार प्रविष्टि की जाए” प्रतिस्थापित किया जाए।
- कंडिका 17 में शब्द “क्रमांक 4 अंतर्गत” के स्थान पर शब्द “अंतर्गत” प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 1st July 2026

CORRIGENDUM

No. GEN-2101/1319/2025/COMM. & INDUS.— In the even numbered notification of amendment in the Industrial Development Policy 2024–30 issued on date 12-01-2026 (published in Gazette on date 13-01-2026), the following corrections are, hereby, made; namely-

1. In serial 1, for the word “Centre”, the word “Centres” shall be substituted.
2. In serial 13, for the words “serial number 2”, the words “serial number 5” shall be substituted.
3. For serial 14, the following shall be substituted, -

“14. In column 2 of serial number 5 of section (E) of the table in Annexure-6, for the words “50 beds”, word “following” shall be substituted and the following words shall be added in the end,-

“(i) In the district headquarters development blocks of Raipur, Bilaspur, Raigarh, Korba, Durg, Jagdalpur, Ambikapur, Dhamtari, Rajnandgaon, Balodabazar and in Nava Raipur, multi-specialty hospitals with a minimum of 200 beds and specialist doctors on the payroll as per MCI norms;

(ii) In other district headquarters development blocks and other development blocks excluding Bastar and Surguja divisions, a minimum of 100 beds;

(iii) For development blocks of Bastar and Surguja divisions, 50 beds;

(iv) For other Health and Wellness Centers, a minimum of 50 beds;

After publication of this amendment Investment incentives will be provided only to the first 10 hospitals in each district.”

4. In serial 15, for the words “and the following proviso shall be added”, the words “and in its column 2, the following shall be added” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.